

BA Part II (H)

Paper III

Lecture I

Dr. Chiranjeev Kr. Thakur
Assistant Professor (GT)
Department of Sociology
VSI College Raj Nagar

अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) ⇒ अनुसूचित

जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में संसद की शक्ति द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों को इन जातियों के समूहों का कहा जाता है, जो जाति प्रथा के अन्तर्गत निम्नतम स्थिति में माने जाते हैं। यह इन जातियों का नवीन नाम है। इन जातियों को समय-समय पर प्रोत्साहन नामों से पुरस्कार मंगाए हैं। इन्हीं को पहले असह्य जातियों का दलित भी कहा जाता था।

दलित जाति से तात्पर्य स्काइसी जाति से था जिन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित करके इनका अमानवीय शोषण किया जाता है। सप्यारणतः अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिनका अर्थ -

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं
दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया
गया।

1931 में जी. जगन्नाथुल्लू, उस समय आसाम प्रांत के
जगन्नाथुल्लू ने सरकार को सुझाव दिया कि वे
जातियां हिन्दू समाज से विलुप्त अलग हैं। वे हिन्दू समाज
से विलुप्त हैं, अतः इनका नाम विलुप्त जातियां
रखा जाना चाहिए। परन्तु गांधी जी के हस्तक्षेप
से इन जातियों को हिन्दू मान लिया गया तथा वस्त्रा
नाम हीरान्न रखा गया। भारत में लगभग 17 करोड़
जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। उससे अधिक जनसंख्या
अनुसूचित जातियों की उत्तर प्रदेश में है।